




<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज दावा - बजरंगलाल - चारेलाल वर्मा</p>	<p>नम्बर व त अहकाम जं हुकम की त में जारी</p>
<p>19-01-18</p>	<p>वकील उमथपस उपा। पत्रा- वाहे रजनीनामा दि. 29-01-18 को पेश हो। </p>	
<p>29-01-18</p>	<p>वकील उमथपस उपा। पत्रा- वाहे रजनीनामा दि. 19-02-18 को पेश हो। </p>	
<p>19-02-18</p>	<p>वकील उमथपस उपा। वकील वाही ने प्रार्थना पत्र पेश का नया दावा पेश करने की अनुमति के साथ दावा विद्रा करने की अनुमति चाही है। अतः ^{वाद} वादी नया दावा पेश करने की अनुमति के साथ विद्रावल के आधार पर स्वारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुनकर होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जमा जिला अगिले जागा हो। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वापस लौटाके जावे।  सहायक कलेक्टर उप कार्यपालक मजस्ट्रेट गणपूर सिटी (सोमना)</p>	

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

Judi/Civil

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

उनवान

बजरंगलाल बनाम प्यारेलाल वगै0

दावा बावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. -23/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी श्री सतीश चंद शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री आलोक गोयल मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी नया दावा पेश करने की अनुमति के साथ विद्भावल के आधार पर खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री अज दिनांक-19.02.2018 को जारी किया गया।

(मुनिदेव यादव)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		